मुनीम के साथ हुई लूटपाट का खुलासा थाना बानपुर

घटना का संक्षिप्त विवरण

बानपुर में मुकदमा अपराध संख्या 201/2022 धारा 394,504 भादवि बनाम 02 अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना के शीघ्र खुलासे हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक ललितपुर **श्री गोपाल कृष्ण चौधरी** द्वारा थाना बानपुर सहित 04 अन्य पुलिस टीमों का गठन किया गया।

खुलासा:–

आज दिनांक 10.11.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक ललितपुर **श्री गोपाल कृष्ण चौधरी** के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार व क्षेत्राधिकारी महरौनी श्री कुलदीप कुमार के निकट पर्यवेक्षण में थाना बानपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना के खुलासे हेतु की जा रही कार्यवाही के दौरान प्रभारी निरीक्षक बानपुर श्री जय प्रकाश चौबे मय हमराह पुलिस बल के मुखबिर की सूचना पर गाइयाघाट तिराहा थाना बानपुर पर मामूर थे तभी मुखबिर ने आकर बताया कि आपके मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त भगोले चंदेरी से राजघाट ललितपुर की ओर रात्रि में आने वाला है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके राजघाट पुलिस ललितपुर रोड के पास छुपकर अभियुक्त भगोले के आने की प्रतिक्षा कर ही रहे थे कि समय करीब 22.30 बजे 01 व्यक्ति मोटर साईकिल अपाचे से आता दिखाई दिया। जिसे रोककर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम रनवीर सिंह उर्फ भगोले पुत्र बृजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम कडराना थाना चन्देरी जनपद अशोक नगर म0प्र0 उम्र करीब 24 वर्ष बताया। अभियुक्त रनवीर सिंह उर्फ भगोले ने अपने साथी नीरज एवं 02 अन्य साथियो के साथ मुनीम के साथ हुई लूटपाट की घटना को कारित करना स्वीकार किया।